

फर्द अहकाम

निरमा बनाम उगमाराम वगै०

नाम न्यायालय :- उपखण्ड अधिकारी फागी

केस संख्या:- 21/2025/41/क

क्र.स	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	10.03.2025	<p>यह वाद पत्र वकील श्री दौलतराम जाट ने चौधरी ने पेश किया। कार्यालय रिपोर्ट ली गई। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जारी हो। पत्रावली दिनांक 21.04.2025 को पेश हो।</p>	
	27/3/25	<p>पत्रावली आज वकील भाडी की मौखिक निवेदन करने पर तलब की गई। वकील भाडी ने अपना काड को आगे नहीं पलाकर इसी स्तर पर नोटिस अंकित कर खारिज करने का निवेदन किया। अतः भाडी का काड नोटिस के आधार पर खारिज किया जाता है पत्रावली फसल शुक्रद होकर दर्ज न. है कर है।</p>	<p>Next Proceed 27/3</p>

उपखण्ड अधिकारी  
फागी, जयपुर

उपखण्ड अधिकारी  
फागी, जयपुर